भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3015

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

बाल विवाह

3015.श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार को उन प्रतिवेदनों की जानकारी है जिनमें कहा गया है कि भारत में प्रति-मिनट-तीन बालिकाओं का जबरन विवाह कराया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को केरल राज्य में बड़े पैमाने परबाल विवाह कराए जाने संबंधी प्रतिवेदनों की जानकारी है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2018 से 2024 के बीच रिपोर्ट किए गए ऐसे बाल विवाहों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा स्वैच्छिक, अधिकार समूहों और अन्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से इस संबंध में जागरुकता फैलाने हेतु क्या पहलें की गई हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराधों पर सांख्यिकीय आँकड़े संकलित करता है और इसे अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 तक केरल राज्य सहित "बाल विवाह

प्रतिषेध अधिनियम, 2006" के तहत पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ): सरकार ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने तथा बाल विवाह में शामिल लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006' (पीसीएमए) अधिनियमित किया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए) की धारा 16 राज्य सरकार को सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके ऐसे भाग के लिए, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देती है जिन्हें 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ)' के रूप में जाना जाता है, जिनका क्षेत्राधिकार अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर होगा। यह धारा सीएमपीओ द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी निर्दिष्ट करती है जिसमें व्यक्तियों को सलाह देना अथवा स्थानीय निवासियों को बाल विवाह को बढ़ावा देने, सहायता करने, सहयोग करने अथवा अनुमति देने में शामिल न होने की सलाह देना; बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता प्रसार करना; तथा बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना शामिल है। सीएमपीओ संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्य करते हैं।

फिर भी केंद्र सरकार जागरूकता अभियान, मीडिया अभियान और पहुँच कार्यक्रम चलाती है और इस प्रथा के बुरे प्रभावों को उजागर करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी करती है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सीएमपीओ की संख्या बढ़ाने के लिए भी लिखा है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'मिशन शक्ति' अम्ब्रेला योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) घटक को क्रियान्वित करता है, जिसमें लैंगिक समानता से संबंधित मामलों पर जागरूकता प्रसार करना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) भी इस संबंध में समय-समय पर हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श करता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24X7 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा, संक्षिप्त कोड 1098 के साथ चाइल्डलाइन की शुरुआत की है जो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप के साथ प्रतिक्रिया करती है जिसमें पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ), जिला बाल संरक्षण इकाइयों आदि के समन्वय से बाल विवाह की रोकथाम भी शामिल है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 09.08.2024 को 'बाल विवाह' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3015 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 तक "बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006" के तहत पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्ट किए गए मामले				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	आंध्र प्रदेश	14	4	32	19	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	88	115	138	155	163
4.	बिहार	35	8	5	11	13
5.	छत्तीसगढ	2	0	1	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	8	20	15	12	9
8.	हरियाणा	21	20	33	33	37
9.	हिमाचल प्रदेश	9	4	5	5	4
10.	झारखंड	7	3	3	4	5
11.	कर्नाटक	73	111	184	273	215
12.	केरल	18	7	8	12	6
13.	मध्य प्रदेश	3	4	5	4	7
14.	महाराष्ट्र	13	20	50	82	99
15.	मणिपुर	0	0	0	2	1
16.	मेघालय	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	22	22	24	64	46
20.	पंजाब	6	6	13	8	4
21.	राजस्थान	11	19	3	11	10
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	67	46	77	169	155
24.	तेलंगाना	24	35	60	57	53

25.	त्रिपुरा	1	0	4	1	2
26.	उत्तर प्रदेश	4	4	12	6	17
27.	उत्तराखंड	2	2	9	12	6
28.	पश्चिम बंगाल	70	70	98	105	121
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	2	1	1	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0+	1+	0	0	0
32.	दिल्ली	1	2	4	2	1
33.	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	2	2
34.	लद्दाख	-	-	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36.	पुद्दुचेरी	0	0	0	1	0
	भारत	**501**	**525**	**785**	**1050**	**1002**

'+' पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का संयुक्त आंकड़ा है ।